कलाकृति

अंक-4 (2021-22)

संरक्षक

श्रीमती रुबी कौशल
सचिव, दि.न.क.आ.

परामर्शदाता

राजीव गौड़, सहायक सचिव (तकनीकी)

संपादक

कल्पना देवानी, हिंदी अनुवादक
उप-सम्पादक
रेनू बस्सी, सहायक

सहायक

सुनीता रानी, उच्च श्रेणी लिपिक
राजबीर सिंह, हिन्दी टंकक
नेहा , वास्तुक सहायक
हिमांशु , कनसल्टेंट

संपादकीय पता
दिल्ली नगर कला आयोग
कोर 6 ए, यू जी एवं प्रथम तल
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

आंतरिक परिचालन हेतु
गृहपत्रिका में व्यक्त विचारों से प्रबंधन का सहमत होना आवश्यक नहीं।

अनुक्रमणिका

संदेश

सरस्वती वंदना
हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें
हम इतना तो कर सकते हैं
राजभाषा अधिनियम 1963

पत्रिका का विमोचन

राजभाषा हिंदी संगोष्ठी
आयोग के कार्मिकों के लेख/कविताएं

अजित पई

अध्यक्ष, दि.न.क.आ.

संदेश

आज हिंदी राजभाषा ,राष्ट्रभाषा ,संपर्क भाषा से बढ़कर विश्वभाषा बनने की तैयारी कर रही है । भाषा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । भाषा है तो साहित्य है और जहां साहित्य है वहां भाषा का स्वत: ही विकास हो जाता है । हिंदी भाषा की जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती हैं ।

देश भर की विभिन्न भाषाएं लोक संस्कृतियां जब हिंदी भाषा-भाषी के बीच आत्मसात हो जाती हैं तो हम सभी वर्ग, समाज, जाति-भेद भूलकर उसमें रम जाते हैं ।

पत्रिका के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बल मिलेगा और कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा विकसित होगी । सभी रचनाकारों को बधाई और शुभकामनाएं ।

अजित पई

(अजित पई)

अध्यक्ष

मनदीप सिंह
सदस्य, दि.न.क.आ.

संदेश

हिंदी विश्व की एक प्राचीन समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ ही हमारी राजभाषा भी है । चीनी भाषा के बाद हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है । हिंदी जनसाधारण की भाषा है और सभी कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी बन सकेगीं जब उनकी जानकारी आम जन की भाषा में उन तक पहुचेगी । पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास में सहयोग मिलता है ।
पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

मनदीप सिंह

(मनदीप सिंह)
सदस्य

आशुतोष कुमार अग्रवाल
सदस्य, दि.न.क.आ.

संदेश

हिंदी भाषा सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है । इसके साथ-साथ यह देश की संपर्क भाषा है जो विभिन्न भाषा वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है । अत: राजभाषा का सम्मान करते हुए समस्त कार्मिकों को अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का उपयोग करना चाहिये ।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार की दिशा में किये जा रहे कार्यों की श्रृंखला में यह पत्रिका अहम कड़ी है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

(आशुतोष कुमार अग्रवाल)
सदस्य

निवेदिता पांडे

सदस्य, दि.न.क.आ.

संदेश

किसी भी देश का चतुर्दिक विकास सुनिश्चित करने में भाषा महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह करती है । भारत जैसे विशाल देश में सरकार एवं जनता के बीच परस्पर समन्वय ,बेहतर समझ और तालमेल स्थापित करने में प्रयुक्त हिंदी भाषा का राजभाषा के रुप में अभिषेक इसी संकल्पना को मूर्त रुप देते हुए किया गया है । हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है कि हम अपना सम्पूर्ण सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में करें ।

पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार -प्रसार होता है तथा कामकाज में रुचि पैदा करने का कार्य भी सहज हो जाता है । पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास में सहयोग मिलता है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

निवेदिता पांडे

(निवेदिता पांडे)

सदस्य

कामरान रिज़्वी, अपर सचिव (डी)
आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय
सदस्य, दि.न.क.आ.

संदेश

हिंदी एक सरल भाषा है । राजभाषा के रुप में जहां वह केंद्र सरकार के कामकाज की भाषा है वहीं पर वह भारत देश की सांस्कृतिक भाषा के रुप में आध्यात्मिक, राजनैतिक आर्थिक ,व्यवसायिक एवं सामाजिक संस्कारो से जुड़कर देश की एकता और अखण्डता को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है । लोकभाषा के रुप में वह समग्र देश की जनता द्वारा बोली ,समझी और प्रयोग की जाने वाली भाषा है ।

यह पत्रिका निश्चय ही कार्मिकों में सृजनात्मक और वैचारिक लेखन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार की राजभाषा नीति के क्रियांवयन में प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी ।

इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े समस्त कार्मिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।

कामरान

(कामरान रिज़्वी)
सदस्य

रुबी कौशल

सचिव, दि.न.क.आ.

सचिव की कलम से

राजभाषा हिंदी न केवल कार्यालयीन कामकाज की भाषा है बल्कि एक संवैधानिक दायित्व भी है जिसका अनुपालन करना एवं दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना अति आवश्यक है । हिंदी को राजभाषा के रुप में तो शामिल किया गया किंतु यह सिर्फ सरकारी तंत्र की भाषा बन कर रह गयी । अभी भी देश अंग्रेजी की गुलामी से उबर नहीं पाया है । सरकार के सभी प्रभावी कदमों के बावजूद हिंदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है । हिंदी भाषा की सहजता एवं सुगमता ने लोगो के बीच अपनी पहचान बनाई है ।

आयोग की 'कलाकृति' का नया अंक प्रस्तुत है । जहां कोरोना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया वहीं सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आयोग ने राजभाषा सम्बंधी सभी आयोजन किये ।

पिछले वर्ष हिंदी दिवस और माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने के साथ राजभाषायी निरीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया ।

कलाकृति पत्रिका में अपनी लेखनी की प्रतिभा के माध्यम से जो रचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देती हूं ।

रुबी

(रुबी कौशल)

सचिव

राजीव कुमार गौड़

सहायक सचिव (तकनीकी), दि.न.क.आ.

संदेश

जो भाषा दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर अपना विकास सुनिश्चित करती है ,वह भाषा भारत जैसे बहुभाषी देश में जन -भाषा के रुप में अधिकाधिक स्वीकारी जाती है । भाषा का व्यापार विचित्र होता है । वह दूसरी भाषाओं की जितनी ऋणी होती है ,उतनी ही वह धनवान बनती है और उदार कहलाती है । हिंदी भाषा की प्राथमिकता यह होनी चाहिये कि वह भारतीय भाषाओं के साहचर्य में फूले-फले । इससे देश में परस्पर बंधुता बढ़ती है पारस्परिक संवाद की भूमि तैयार होती है और हिंदी भाषा में उन शब्दों की नई रचना की सम्भावनाएं बनी रहती है और इस प्रकार राजभाषा हिंदी की संभावना का सूत्र और सशक्त होगा ।

मुझे आशा है कि यह पत्रिका पाठकों के लिए उपयोगी सिद्द होगी और कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जहां एक ओर लेखन प्रतिभा बढ़ा कर उनके विचारों को मुखरित करेगी, वहीं दूसरी ओर उनमें अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने की प्रवृति भी विकसित करेगी ।

पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं ।

राजीव गौड़

(राजीव कुमार गौड़)

सहायक सचिव (तकनीकी)

सरस्वती वंदना

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥

हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।
तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे
हर स्वर तेरा हर गीत तेरा
हम हैं अकेले हम हैं अधूरे
तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां।

मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी
वेदों की भाषा वेदों की वाणी ।
हम भी तो समझें, हम भी तो जानें
विद्या का हमको अधिकार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।

तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,
हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे
मन से हमारे मिटा के अंधेरे
हमको उजालों का संसार दे मां ।
हे शारदे मां, हे शारदे मां,
अज्ञानता से हमें तार दे मां ।

हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें !

- पत्र लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग करें ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें ।
- पत्राचार में आम शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए । हिंदी की बोलियों के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने मे हिचक नहीं होनी चाहिए ।
- अच्छी हिंदी जानने वाले कभी-कभी उन लोगों की कठिनाई नहीं समझ पाते जिन्होंने हाल ही में थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है ।ऐसे लोगों को इनकी कठिनाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ।
- हिंदी के वाक्यों में संस्कृत के कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग न करें तथा अंग्रेजी की वाक्य संरचना से बचें अर्थात वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए । वह अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद नहीं होना चाहिए ।
- जहाँ कहीं भी यह लगे कि पढ़ने वाले को हिंदी में लिखे किसी शब्द या पदनाम को समझने में कठिनाई हो सकती है, तब कोष्ठक में अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी रहेगा ।
- टिप्पण एवं प्रारूपण में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों, जैसे-बैंक, चेक,गारंटी, पेंशन, पासबुक आदि को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित करके लिखना सभी के हित में होगा ।
- शब्दों में एकरूपता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग अथवा अपने कार्यालय द्वारा बनाई गई प्रशासनिक शब्दावली का ही प्रयोग करें ।
- हिंदी के कार्य करने की शुरूआत छोटी-छोटी टिप्पणियों को हिन्दी में लिखकर करनी चाहिए ।
- अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में नहीं लिखना चाहिए । कोशिश तो हिंदी में सोचकर हिंदी में लिखने की होनी चाहिए ।

हम इतना तो कर सकते हैं

- हिंदी में हस्ताक्षर करें ।
- हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दें ।
- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें ।
- हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफे पर पते हिंदी में लिखें ।
- परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें ।
- मुलाकाती कार्ड, रबर स्टाम्प, नाम पट्ट, डीओ लैटर हैड दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में बनवाएं और उसका प्रयोग करें ।
- विभाग कवर, स्टेशनरी आदि पर कम्पनी का नाम दोनों द्विभाषी में ही दें ।
- हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें ।
- उपस्थिति विवरण,जन्मदिन,बधाई पत्र, फार्म भरना इत्यादि काम हिंदी में करें ।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें ।
- हिन्दी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएँ ।
- हिन्दी कार्ड की सहायता से छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखने का प्रयास करें ।
- फाइलों के ऊपर विषय हिंदी-अंग्रेजी में लिखें ।
- अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें ।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रुप से द्विभाषी (हिंदी और अग्रेज़ी) में जारी किए जाएं

1. संकल्प
2. सामान्य आदेश
3. नियम
4. अधिसूचनाएं
5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
6. प्रेस विज्ञपतियां
7. संसद के समक्ष किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
8. संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़
9. संविदाएं
10. करार
11. अनुज्ञप्तियां
12. अनुज्ञापत्र
13. टेंडर नोटिस
14. टेंडर फार्म

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाएं

1. असमिया	6. गुजराती	11. मराठी	16. कोंकणी	21. बोडो
2. उड़िया	7. तमिल	12. मलयालम	17. नेपाली	22. संथाली
3. उर्दू	8. तेलुगु	13. संस्कृत	18. मणिपुरी	
4. कन्नड़	9. पंजाबी	14. सिंधी	19. मैथली	
5. कश्मिरी	10. बांग्ला	15. हिंदी	20. डोगरी	

आयोग में राजभाषा की प्रतिबद्धता

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत आयोग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उत्तरोतर बल मिला है । राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को पराकाष्ठा तक पहुंचने को प्रतिबद्धता के चलते जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं :-

- राजभाषा हिंदी कार्यों के निष्पादन के प्रति वचन बद्धता तथा कार्यों के निष्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों का ठोस विश्लेषण किया गया ।
- राजभाषा के संवैधानिक तथा नीतिगत पहलुओं के प्रति सभी कार्मिकों को जागरुक एवं समर्पित कर हिंदी में कार्य करने का माहौल तैयार करते हुए प्रभावी एवं व्यवहार कुशल कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जा रहा है ।
- हिंदी में पत्र व्यवहार, टिप्पण एवं आलेखन के कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किए जाने के प्रयासों के चलते 97% तक पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है ।
- कम्प्यूटर पर टंकण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए यूनीकोड पर विशेषज्ञ आंमत्रित कर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।
- द्विभाषी वेबसाईट पर हिंदी के कार्यों को अद्यतन किया गया ।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित राजभाषा सलाहकार समिति की सभी त्रेमासिक बैठकों तथा माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली हिंदी सलाहकार छमाही बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अमल किया जा रहा है, आयोग में राजभाषा हिंदी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है ।
- दिल्ली नगर कला आयोग का यह संकल्प है कि राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने के प्रयासों की ओर अग्रसर रहेगें ।

राजभाषा संबंधी नियम

निमय 3(1),(4)

केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र 'क' 'ख' में स्थित कार्यालयों से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संध राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशा को छोड़कर हिंदी में भेजे जाएं ।

Communication from Central Government Offices located in region A, B to any office of a State or Union Territory in Region A or to any office (not being a Central Government Office) or person in such State or Union Territory should be sent in Hindi save in exceptional circumstances) and if any communication is issued to any of them in English. It should be accompanied by a Hindi translation thereof.

1963 की धारा 3(3)

संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या 1963 की धारा 3(3) प्रेस विज्ञप्ति सभी दस्तावेज और संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कागज़ पत्र, संविदा करार, परमिट और टेंडर तथा प्रारुप आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में जारी किये जायें ।

Resolutions, general orders, Rules, Notifications, Administrative Reports or 3(3) of clause 1963 other Reports or Press communiqués. Papers laid before the Parliament, Contacts and agreements license permit, notices and forms of tender issued should be issued in both in Hindi, English.

नियम 5

हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हों, हिंदी में दिया जाए ।

Replies to communications received in Hindi whether they are received from any region or from any State Government, individual or from Central Government Office, should be in Hindi.

नियम 6

दस्तावेज़ो पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह पैरा 1.16 में उल्लिखित दस्तावेज़ों हिंदी और अंग्रेजी दोनो में तैयार या जारी की गई है ।

It is the responsibility of the person signing such documents as mentioned in para 1.16 above to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English.

नियम 7

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है । यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में करता है या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए ।

An official may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English. If any official makes his application, appeal or representation in Hindi or appends his signature on it in Hindi then it should be replied to in Hindi.

नियम 8(1)

उपर्युक्त को छोड़कर कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें ।

Except those mentioned above, an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.

नियम 8(2),(3)

केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज़ के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज़ विधिक या तकनीकी प्रकृति के हों इसका निर्णय कार्यालय प्रमुख करेगा ।

No central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi, except in the case of documents of legal or technical nature. If any question arises as to whether a particular document is of a legal or technical nature, it shall be decided by the Head of the Department of Office.

नियम 8(4)

1976 के 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किये गये कार्यालयों में हिन्दी में प्रवीणता (मैट्रिक या समतुल्य या ऊंची परिक्षा हिन्दी माध्यम से/स्नातक या बराबर या ऊंची हिन्दी एक वैकल्पिक विषय के रूप में/ राजभाषा नियम प्रारुप में घोषणा की हो) प्राप्त कर्मचारी अनिवार्यत: और हिंदी कार्य साधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारी यथा संभव पत्रों का प्रारुपण मूल रुप से हिंदी में करें ।

The Central Government may by order specify such Central Government Offices, wherein eighty percent of the staff have acquired working knowledge of Hindi and which have been notified under Official Languages rule 10(4), where Hindi alone shall be used for nothing drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.

नियम 9

किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है,

यदि उसने-मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य या उससे ऊंची कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है । अथवा

स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊंची किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, ऊंची कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर अथवा

वह रा0 भा0 नियम में संलग्न प्ररूप में यह धोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ।

An Employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if: -

he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or

He has taken Hindi as an elective subject in the degree or any other examination equivalent to or higher than the degree, examination: or

He declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.

नियम 10

कार्यसाधक ज्ञान मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊंची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या-केन्द्रीय सरकार के हि. सि.यो. के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट हैं या वह राष्ट्रीय भाषा नियम के संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

An Employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed: -

The Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects: or the Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Govt. or when so specified by that Govt. in respect of any particular category of posts, any lower examination under that scheme; or

Any other Examination specified in that behalf by the Central Govt; or if he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.

नियम 10(4)

केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों को, जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो रा.भा. नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किये जा चुके हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पणी प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट जाएं केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

The Central Government may by order specify such Central Government Offices, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi and which have been notified under Official Languages Rule 10(4), where Hindi alone shall be used for nothing drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.

नियम 11

सभी मेनुअल संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित या साइकलोस्टाइल किया जाए या प्रकाशित किया जाए

All manuals, codes and other procedural literature should be printed or cyclostyled or published in Hindi and in English in Diglot form.

(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो ।

The forms and headings of registers used in any Central Government Office should be both in Hindi and English.

(ग) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी जाएं व मुद्रित की जाएं ।

All name plates, signboards, letterheads and inscriptions on envelopes and other items of stationery should be written, printed or inscribed both in Hindi and English.

यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हैं तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों में छूट दे सकती है ।

Provided that the Central Government may, if considered necessary to do so by general or special order exempt any Central Government Office from all or any of the provisions of this rule.

नियम 12(1)

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के आबधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच ले उपाय करें ।

It is the responsibility of the administrative head of each Central Government office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Official Language Rules are properly complied with and to devise suitable and effective check points for this purpose.

सोंधी सुगंध,मीठी सी भाषा
गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा

क्षेत्रवार वर्गीकरण

'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में हिंदी

राजभाषा नियम, 1976 में हमने देखा कि हिंदी बोले जाने और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर सम्पूर्ण भारतवर्ष को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया है : 'क' क्षेत्र 'ख' क्षेत्र एवं 'ग' क्षेत्र। 'क' क्षेत्र के अन्तर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जहाँ की बोली हिंदी है। 'ख' क्षेत्र वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ की भाषा हिंदी न होने के बावजूद अधिकतर स्थानों में हिंदी बोली और समझी जाती है और 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं जहाँ की बोली हिंदी न होकर उनकी प्रांतीय भाषा है। 'क' क्षेत्र, 'ख' क्षेत्र एवं 'ग' क्षेत्र का विभाजन निम्नलिखित सारणी से समझा जा सकता:

'क' क्षेत्र	'ख' क्षेत्र	'ग' क्षेत्र
बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य	गुजरात , महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	ओडिशा, बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर , त्रिपुरा , मिजोरम, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्णाटक, आन्ध्र प्रदेश , केरल

राजभाषा नियम, 1976

हिन्दी के अनुमानित ज्ञान के आधार पर देश के राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को तीन क्षेत्रों, यथा - क, ख, ग में परिभाषित किया गया है

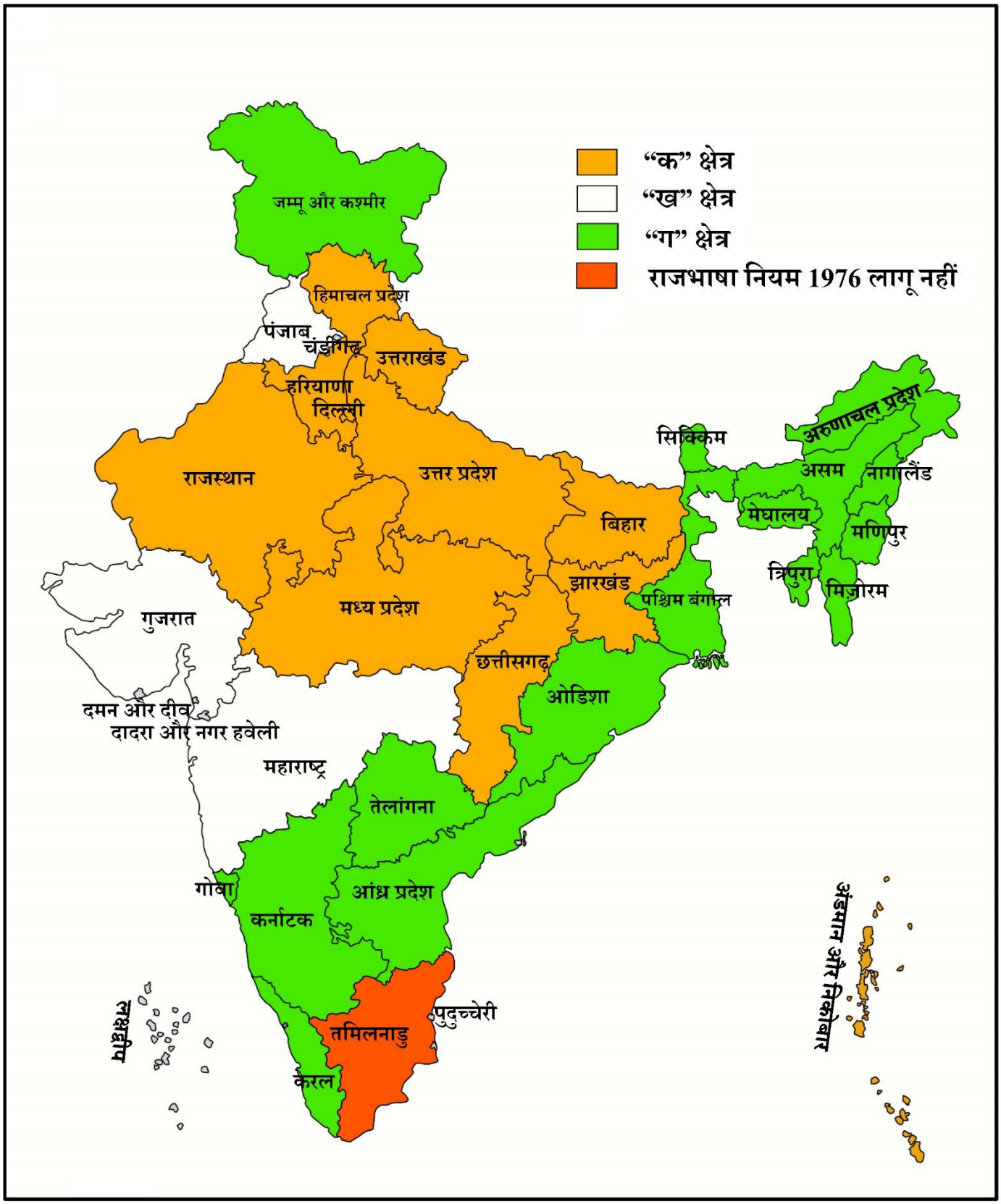

राजभाषा प्रश्नोत्तरी

1	राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है ?						
क)	निरकारी	ख)	देवनागरी	ग)	आशुलिपि	घ)	रोमन
2	राजभाषा अधिनियम कब संशोधित हुआ था 1963?						
क)	वर्ष 1963	ख)	वर्ष 1967	ग)	वर्ष 1968	घ)	वर्ष 1969
3	प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?						
क)	सितम्बर 14	ख)	जनवरी 10	ग)	अप्रैल 10	घ)	अक्तूबर 24
4	राजभाषा नियम के अनुसारअंडमान व निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है ?						
क)	ख	ख)	ग	ग)	क	घ)	घ
5	राजभाषा कार्यानवयन समिति की बैठकों की अवधिकता क्या है ?						
क)	6 महीने	ख)	5 महीने	ग)	4 महीने	घ)	3 महीने
6	संविधान की आंठवी अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं ?						
क)	20	ख)	21	ग)	22	घ)	30
7	आठवीं अनुसूची में शामिल विदेशी कौन सी है ?						
क)	डोगरी	ख)	नेपाली	ग)	संथाली	घ)	बंगला
8	हिंदी समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर व्यय का न्यूनतम लक्ष्य क्या है/?						
क)	65%	ख)	55%	ग)	45%	घ)	50%

उत्तर

1. ख) 2. ख) 3. क) 4. ग) 5. घ) 6. ग) 7. ख) 8. घ)

राजभाषा हिंदी

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा के रूप में हिंदी को यह दर्जा प्रदान करने के संबंध में सविधान निर्माताओं ने काफी विचार-विमर्श किया और अंतत: इस निर्णय पर पहुँचे कि भारत जैसे बहुभाषी देश की सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य केवल हिंदी में ही है, अत: हिंदी ही संघ की राजभाषा बन सकती है । 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया।

संविधान के भाग 5,6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं । संसद और विधान सभा में प्रयोग में लाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान क्रमश: अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 में किए गए हैं । इनके अलावा संविधान के 343 से 351 तक के अनुच्छेद 120 और अनुच्छेउ 210 में किए गए हैं । इनके अलावा संविधान के 343 से 351 तक के अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है । संघ की राजभाषा हिंदी हैं और इसकी लिपि देवनागरी हैं । संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंको के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा। सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है । संविधान के लागू होने से 15 वर्ष की अवधि तक के लिए यह व्यवस्था की गई है और इस अवधि के आगे भी अंग्रेजी के प्रयोग के लिए प्रावधान किया गया है । इसी प्रावधान के अंतर्गत अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया है । प्रारंभ में संविधान की अष्टम अनुसूची में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, फिर इसमें सिंधी भाषा जोडी गई और अब कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है । संविधान में अन्य प्रावधान संक्षेप में इस प्रकार हैं :-

अनुच्छेद 344 - राजभाषा आयोग का गठन

अनुच्छेद 345 – राज्यों की राजभाषा

अनुच्छेद 346 - राज्यों और संघ सरकार के बीच पत्राचार की भाषा

अनुच्छेद 347 - भाषा विशेष को मान्यता प्रदान करना

अनुच्छेद 348 - न्यायालय में प्रयुक्त भाषा

अनुच्छेद 349 - भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 350 - अभ्यावेदन की भाषा

अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार और विकास के संबंध में प्रावधान - संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से औश्र गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें । यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके आधार पर आगे चल कर कई कार्यक्रमों की संकल्पना उत्पन्न हुई और कार्यरूप प्राप्त हुआ । इस अनुच्छेद के अनुसार केवल राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग ही काफी नहीं है, हिंदी का प्रणालीगत विकास करना भी आवश्यक है ।

राजभाषा के रूप में हिंदी की यात्रा पर एक नज़र डालें तो यह पाया जा सकता हैं कि समय-समय पर हिंदी के कारगर प्रयोग हेतु उचित प्रावधान किए गए हैं । बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए नीति नियम बनाए गए हैं । राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से 1952 में पहला राष्ट्रपति आदेश जारी हुआ। इसमें राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालों के न्यायाधीशों एवं राजदूतों की नियुक्तिओं से संबंधित अंधिपत्रों में अंग्रेजी के अलावा हिंदी के प्रयोग और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के अलावा देवनागरी अंकों के प्रयोग से संबंधित आदेश जारी किए गए हैं । 1955 में जारी राष्ट्रपति आदेश में प्रावधान किया गया कि जनता से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी भरसक हिंदी में ही दिए जाए । प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्रिकाएं और संसद में रखी जानेवाली रिपोर्ट आदि जहां तक संभव हो, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत की जाए। सरकारी संकल्पों और विधायी अधिनियमितियों को द्वविभाषी रूप से जारी किया जाए । अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक होगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने वाले राज्यों के साथ हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाए और साथ में अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए । 1960 में जारी राष्ट्रपति आदेश में शब्दावली, प्रशासनिक संहिताओं और अन्य कार्यविधि साहित्य का अनुवाद, प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग को हिंदी का प्रशिक्षण, हिंदी प्रचार, केंद्रीय सरकारी विभाग के स्थानीय कार्यालयों के लिए भर्ती, अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर प्रशासनिक सेवाओं लिए परीक्षा का माध्यम और भाषा विषयक प्रश्न, अंक, अधिनियमों, विधेयकों इत्यादि की भाषा के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए गए हैं ।

सन 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ । इसमें 1967 में संशोधन किया गया। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार है :-

धारा 1 :- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

धारा 2 :- परिभाषाएं

धारा 3 :- संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना ।

धारा 3(3):- इस धारा में उल्लिखित प्रलेख अनिवार्यत: द्विभाषी रूप में जारी किए जाए ।

धारा 4:- राजभाषा के संबंध में समिति का गठन

धारा 5 :- केंन्द्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

धारा 6 :- कतिपय दशाओं में राज्यों के अधिनियम का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

धारा 7 :- उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी अथवा अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग

धारा 8 :- नियम बनाने की शक्ति

धारा 9 :- धारा 6 और धारा 7 जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे ।

उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम पारित होने के परिणामस्वरूप द्वभिाषिकता का दौर प्रारंभ हुआ । धारा 3 (3) के अतंर्गत अनिवार्यत: द्वभिाष रूप में जारी करने हेतु विनिर्दिष्ट प्रलेखों के चलते हिंदी के प्रयोग में अनिवार्यता का तत्व जुड़ गया । 1968 में राजभाषा संकल्प जारी किया गया, जो इस प्रकार है - भारत सरकार प्रतिवर्ष एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करें और इसे लागू करें । विस्तृत मूल्याकंन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत की जाए । आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के समन्वित विकास के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाए । शिक्षा कार्यक्रम में त्रिभाषी सूत्र लागू किया जाए । संघ की सेवाओं अथवापदों पर भर्ती के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान आवश्यक हो । अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं तथा अंग्रेजी के वैकल्पिक माध्यम की अनुमति होगी ।

1976 में राजभाषा नियम जारी किए गए जिन्हें 1987 में संशोधित किया गया । राजभाषा नियमों के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन का ढांचा तैयार हुआ । इन्हीं नियमों के अंतर्गत राज्यों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया । साथ ही संघ तथा राज्यों के बीच आपस में पत्राचार से संबंधित नियम निर्धारित किए गए । राजभाषा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, जिससे इस कार्य को अपेक्षाकृत गति प्राप्त हुई । राजभाषा नियमों के अंतर्गत मुख्य प्रावधान कुछ इस प्रकार है:-

नियम 1 :- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

नियम 2 :- परिभाएं

नियम 3 और 4 :- राज्यों आदि और केंद्र सरकारी कार्यालयों के बीच पत्राचार

नियम 4 :- केद्र सरकार के कार्यालयों के बीच पत्राचार

नियम 5 :- हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए

नियम 6 :- हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग

नियम 7 :- आवेदन, अभ्यावेदन आदि

नियम 8 :- केद्र सरकारी कार्यालयों में टिप्पण आदि का लेखन

नियम 9 :- हिंदी में प्रवीणता

नियम 10 :- हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान

नियम 11 : मैनुअल, सहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन साग्रगी आदि का द्विभाषीकरण

नियम 12 : अनुपाल का उत्तरदायित्व

राजभाषा नियमों में कार्यान्वयन के प्रत्येक मद हेतु विशिष्ट निर्देश देने के साथ जिम्मेदारी भी तय की गई है । हिंदी के प्रयोग की द्दष्टि से देश के राज्यों को तीन क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है । प्रत्येक क्षेत्र से मूल पत्राचार और प्राप्त होने वाले पत्रादि की भाषा के संबंध में विशिष्ट निर्देश निर्धारित किए गए हैं । साथ में यह भी बताया गया है कि कार्यालय में हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पण आदि तैयार करने की स्वेच्छा होगी । तथापि समूचे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक प्रधान का होगा । जहाँ कर्मचारियों की इच्छा और उत्तरदायित्व दोनों ही पक्ष हों तो आवश्यक हो जाता है कि ऐसे कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण हो

जिन्हें अनिवार्यता हिंदी में किया जाना अपेक्षित है । इसी लिए कार्यालयों की अधिसूचना और कार्यालय/विभागों में हिंदी में किए जाने वाले कार्य विनिर्दिष्ट करने के संबंध में भी स्वत: स्पष्ट नियम बनाए गए हैं ।

मेरी राय है कि धारा 3(3), नियम 5 और नियम 11 राजभाषा कार्यान्वयन के तीन महत्वपूर्ण स्वंभ है । इनसे अनिवार्यतया हिंदी में कार्य किए जाने हेतु कार्यक्षेत्र निर्धारित हुए हैं। हालांकि कर्मचारी द्वारा हिंदी में काम किया जाना उनकी अपनी इच्छा पर आधारित है, और उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि उनके द्वारा किए गए काम का दूसरी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत करें, तथापि इन प्रावधानों में यह स्पष्ट हैं कि कार्यालय स्तर पर अनुपालन स्वेच्छा पर नहीं बल्कि अनिवार्यता पर आधारित है । अत: हिंदी को अपनाने की दिशा में ठोस प्रगति द्दष्टिगोचर हुई है ।

राजभाषा कार्यान्वयन का मूलभूत सिद्धांत प्रोत्साहन और प्रेरणा पर आधारित है । स्टाफ को हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिंदी शिक्षण संस्थान के माध्यम से उचित व्यवस्था उपलब्ध है । यह एक सतत प्रक्रिया के रूप में चल रही है । इसी प्रकार दैनिक काम में हिंदी के प्रयोग में सहायता हेतु आवश्यक सहायक सामग्री का भंडार उपलब्ध है । इन सब के अलावा कार्यालयीन हिंदी की सरलता पर ज़ोर दिया जाता है । मंत्रालय के निदेशानुसाद कार्यालय में प्रयुक्त भाषा यथासंभव सरल और सहज हो। साथ ही राजकाज में प्रयुक्त हिंदी की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु हिंदी की मानक वर्तनी निर्धारित की गई है । सरलीकरण के संदर्भ में अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित शब्दों को हिंदी में अपनाने की भी बात की गई है ।

हालांकि राजभाषा कार्यान्वयन हेतु कई प्रावधान किए गए हैं, तथापि कारगर कार्यान्वयन काफी हद तक संबंधित स्टाफ सदस्यों की मनोवृत्ति और समर्पण पर निर्भर है । स्टाफ स्वप्रेरणा से हिंदी में कार्य करें, प्रारंभिक स्तर पर लक्ष्य आधारित कार्य और आग्र चलते हुए किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए तो हिंदी के प्रयोग में प्रगामी प्रगति अवश्यक प्राप्त होगी ।

विश्व हिंदी सम्मेलन

प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन	नागपुर	1975
द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन	मॉरीशस	1976
तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन	नई दिल्ली	1983
चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन	मॉरीशस	1993
पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन	त्रिनिडाड एंव दोबिंगा	1996
छठा विश्व हिंदी सम्मेलन	लंदन(.के.यू)	1999
सांतवा विश्व हिंदी सम्मेलन	सूरीनामा	2003
आठवां विश्व हिंदी सम्मेलन	न्यूयार्क	2007
नौंवा विश्व हिंदी सम्मेलन	जोहंसबर्ग	2012
दसवां विश्व हिंदी सम्मेलन	भोपाल ,भारत	2015
ग्यारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन	पोर्टसूई,मॉरीशस	2018

हिंदी महीनो के नाम

1.	चैत्र	(मार्च-अप्रैल)
2.	बैशाख	(अप्रैल-मई)
3.	जेष्ठ	(मई-जून)
4.	आषाढ़	(जून-जुलाई)
5.	सावन	(जुलाई-अगस्त)
6.	भाद्रपद	(अगस्त-सितम्बर)
7.	आश्विन	(सितम्बर-अक्तूबर)
8.	कार्तिक	(अक्तूबर-नवम्बर)
9.	मार्गशीर्ष	(नवम्बर-दिसम्बर)
10.	पौष	(दिसम्बर-जनवरी)
11.	माघ	(जनवरी-फरवरी)
12.	फाल्गुन	(फरवरी-मार्च)

हिंदी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य

- 'नमस्ते' हिंदी का सबसे अधिक बोला जाने वाला शब्द है ।
- 1805 में प्रकाशित "प्रेम सागर" को हिंदी की पहली प्रकाशित पुस्तक माना जाता है ।
- अमेरिका के 45 और विश्व भर के करीब175 विश्व विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है ।
- हिंदी को अधिकारिक भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार था । 1881 में बिहार ने उर्दू को हटाकर हिंदी को अपनी अधिकारिक भाषा घोषित किया था ।
- संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में पहली बार 1977 में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संबोधित किया था ।
- विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का चौथा स्थान है ।
- हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी ।
- हिंदी भाषा सबसे सरल और लचीली है हिंदी बोलने एवं समझने वाले लोग पचास करोड़ से भी अधिक हैं ।
- विदेशों में 25 से अधिक पत्र-पत्रिकाएं हैं जोकि नियमित रुप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं ।
- सन 2000 में हिंदी का पहला पोर्टल आस्तित्व में आया था तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी आरम्भ कर दी जो अब रफ्तार पकड़ चुकी है ।
- हिंदी भाषा भारत की 7 भाषाओं में से एक है जिसका इस्तेमाल Web address (URL) बनाने के लिए किया जाता है ।

आयोग की पत्रिका का विमोचन

अधिकारिक भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से, दिल्ली नगर कला आयोग ने 'कलाकृति' शीर्षक से माह फरवरी 2022 को पत्रिका का विमोचन किया । इस अवधि का तृतीय अंक (2020-21) आयोग द्वारा जारी किया गया । पत्रिका में आयोग की विभिन्न गतिविधियों , समय-समय पर आयोजित बैठकों , कार्यशालाओं , और राजभाषा माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं का संकलन है । तकनीकी लेख भी समाहित हैं जोकि आयोग के तकनीकी प्रस्तावों पर आधारित हैं ।

हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है । -राहुल सांकृत्यायन

हिंदी प्रोत्साहन माह,पुरस्कार वितरण समारोह

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरुकता तथा उसके उत्तरोतर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से आयोग में सितम्बर माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । सरकार की राजभाषा निति को सफल बनाने हेतु और हिंदी प्रोत्साहन माह के दौरान राजभाषा हिंदी के अनुकूल वातावरण सृजित कर विभिन्न हिंदी विषयक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

पुरस्कृत कार्मिकों को राशि पी.एफ.एम.एस. द्वारा खातों में भिजवा दी गई । साथ ही प्रमाणपत्र भी दिये गए ।

हिंदी प्रोत्साहन माह समापन, मंच प्रतियोगिता तथा कार्यशाला आयोजन दिनांक 29.09.2021 को आयोजित किया गया । कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क का ध्यान रखा गया । कार्यशाला, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पूर्व उपनिदेशक रा.भा. श्री चतुर्वेदी द्वारा आयोजित की गई । मंत्रालय से प्राप्त "12 प्र" का महत्व सभी को समझाया इसके अंतर्गत प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, पदोन्नति, प्रतिबद्धता तथा प्रयास से राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रुप से सुनिश्चित करने के लिए 12 प्र का अनुपालन महत्वपूर्ण है

हिंदी विश्व की सरलतम भाषा है

.आचार्य क्षितिज मोहन सेन

राजभाषा की प्रभावी कार्यनीति के 12 'प्र'

प्रेरणा

प्रोत्साहन

प्रेम

प्राइज़

प्रशिक्षण

प्रयोग

प्रचार

प्रसार

प्रबंधन

प्रोन्नति

प्रतिबद्धता

प्रयास

संविधान दिवस 2021

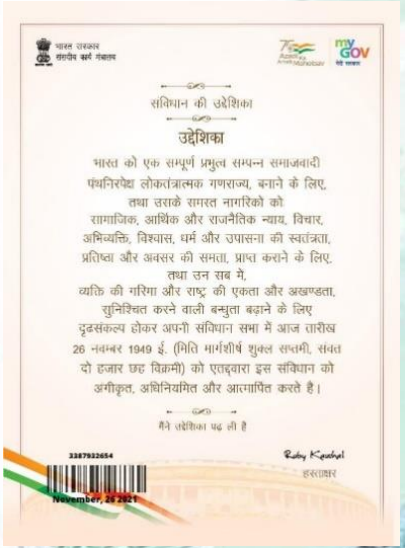

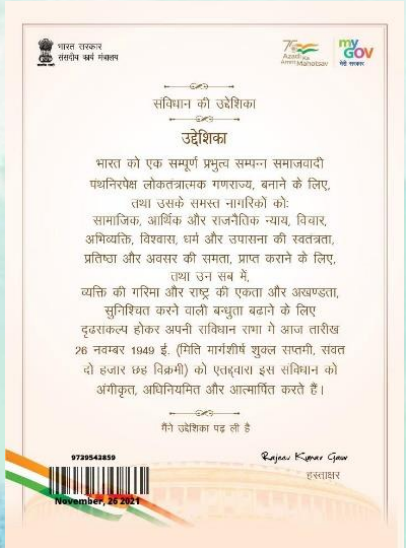

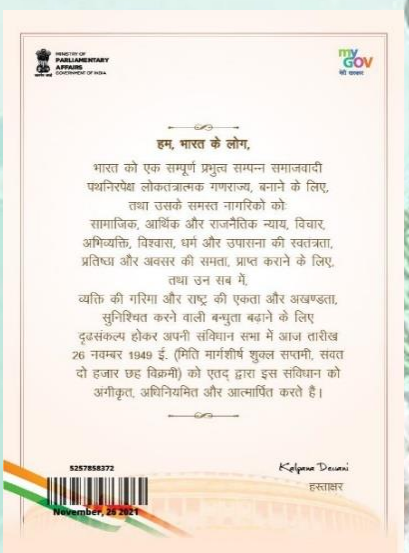

26.11.2021 को संविधान दिवस पर ऑनलाईन शपथ ली गई । ऑनलाईन क्विज़ में भी कई कर्मचारियों ने भाग लिया ।

Certificate of Participation

MyGov congratulates

Kalpana Dewani

for successfully completing the UMANG Quiz.
We acknowledge your efforts. Keep participating...!

CEO, MyGov

Certificate of Participation

MyGov congratulates

Himanshu Gupta

for successfully completing the UMANG Quiz.
We acknowledge your efforts. Keep participating...!

CEO, MyGov

राजभाषायी कार्य का निरीक्षण

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दि. 24.11.2021 को आयोग के राजभाषायी कार्य का निरीक्षण किया गया । मंत्रालय की ओर से उप-निदेशक (रा.भा.) श्री संजय पाटिल और सहायक अनुभाग अधिकारी श्री बिजेंद्र कुमार ने भाग लिया । आयोग में किये जा रहे राजभाषायी कार्य की सराहना की गई ।

यदि देश को है गांव-देहात की तरक्की की चाह
हर कदम बढे वित्तीय समावेशन और साक्षरता की राह

दिल्ली नगर कला आयोग की राजभाषा कार्यांवयन समिति

1.	श्रीमती रुबी कौशल	सचिव, दि.न.क.आ., अध्यक्ष, रा.का.स.
2.	श्री राजीव कुमार गौड़	सहायक सचिव (तकनीकी), दि.न.क.आ., सदस्य सचिव, रा.का.स.
3.	श्रीमती मंजु अंजलि	वास्तुक सहायक, दि.न.क.आ. सदस्य, रा.का.स
4.	श्रीमती रेनू बस्सी	सहायक, दि.न.क.आ., सदस्य, रा.का.स.
5.	श्रीमती कल्पना देवानी	हिन्दी अनुवादक, दि.न.क.आ., सदस्य, रा.का.स.

"हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है."

Sexual Harassment of woman at work place पर 9.12.2021 को एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया

श्रीमती किरण भारद्वाज , पूर्व संयुक्त निदेशक ने कार्यशाला ली और सभी उपस्थित महिला कर्मियों से उनके समक्ष आई समस्याओं पर चर्चा की ,समाधान भी सुझाए । सरकार द्वारा लागू नियम और निर्धारित दिशानिर्देशों के सम्बंध में भी अवगत करवाया ।

महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार, दिल्ली नगर कला आयोग में 8 मार्च 2022 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया । इस अवसर पर फोर्टिस अस्पताल की लेडी डाक्टर मीनाक्षी आहुजा ने महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं पर ऑनलाईन कार्यशाला ली । महिला कार्मिकों ने अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखी तथा उन्होने समस्याओं के समाधान बताए ।

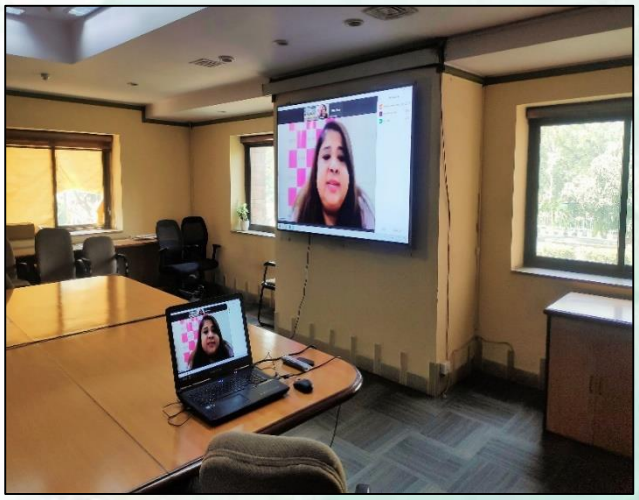

कार्यशाला आयोजन

दिल्ली नगर कला आयोग में दि. 25.3.2022 को "राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार तथा समक्ष आने वाली चुनौतियां" - पर कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस कार्यशाला में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव ,श्री राजबीर द्वारा आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया गया ।

कार्यशाला में राजभाषा सम्बंधी नियमों,मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त आदेशों,वार्षिक कार्यक्रम में दिये गए निर्धारित पत्राचार सम्बंधी लक्ष्यों, कार्यालय द्वारा जारी पत्रिका और प्रोत्साहन सम्बंधी योजनाओं के विषय में व्यापक रुप में बताया गया । कार्यशाला कार्मिकों के लिए लाभदायक और ज्ञानवर्धक रही । राजभाषा के प्रचार-प्रसार में यह एक प्रशंसनीय प्रयास रहा ।

आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ऑनलाईन बैठक

आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दि. 28.3.2022 को ऑनलाईन बैठक आयोजित की गई , बैठक में आयोग की ओर से श्रीमती रुबी कौशल ,सचिव तथा कल्पना देवानी ,हिंदी अनुवादक ने भाग लिया ।

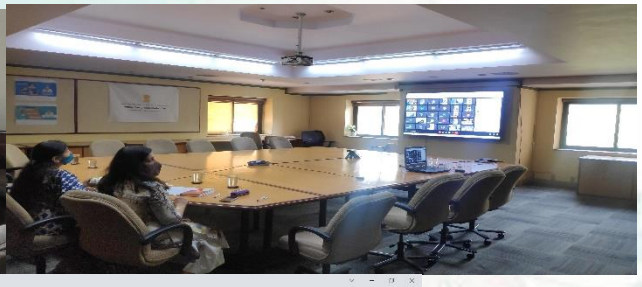

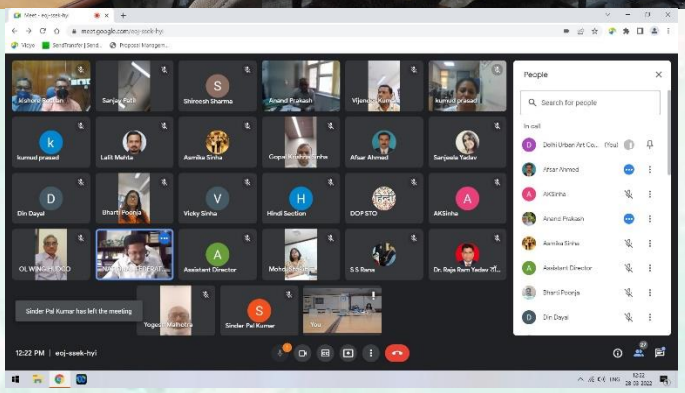

आयोग के कार्मिकों द्वारा लिखे गए निबंध और कविताएं

ऐसी तो ना थी

बड़ी-बड़ी समस्याओं से झूझ जाया करती थी
बड़े-बड़े राज़ मन में छुपाया करती थी,
कोई भी कष्ट हो उफ ना किया करती थी ।
बड़ा दुख भी मन में दबा कर
मुस्कुराया करती थी
थक कर चूर होने पर भी चेहरे पर
शिकन ना आया करती थी ।।
बड़े से बड़ा राज़ भी आखों से ज़ाहिर
होने ना दिया कभी ,अब क्या हुआ कि किसी की
हल्के से कही बात भी चुभ सी जाती है, ।
छोटे-बड़ो के शब्दों से भी आखें नम हो जाती हैं
मन का गुबार,गुस्सा बन फूट पड़ता है
यह समझ नहीं आता सेहत जाएगी या रिश्ते ।।
जीवन भर बनाई छवि बिगड़ सकती है
कभी ज़िद्दी मन यह भी कहता है ,
जो होना है ,हो जाए ,देखा जाएगा ,ना सहेगी ये आखें ।।
और नहीं अब और नहीं
मन यह भी समझता है,
फिक्र में रहोगे तो ,खुद जलोगे.
बेफिक्र रहे तो ,दुनिया जलेगी ।।

कल्पना देवानी

दिल्ली नगर कला आयोग

चुप न रहो , कुछ बात करो

दर्द को समेट कर सीने में ना बनने दो नासूर,
सोच के रेशों को दिमाग में उल्झा कर .
न बनने दो कैंसर , अपाचन पदार्थों को पेट में संग्रहण कर
न बनाओ अल्सर ।।
बोलना आत्मा का सकून है , इसलिये बोलो कुछ भी बोलो
कलाकार बन जाओ ,कैनवास पर मनचाहे रंग गिराओ
दोस्तों से मिलो और बतियाओ
पार्क में दौड़ लगाओ , अजनबियों को अपना बनाओ. वृक्षो से बोलो
पक्षियों से मन बहलाओ ,आसमान की ओर देख कर
अपना नाम चिल्लाओ ।।
बस चुप ना रहो कुछ बात करो
नित नए व्यजंन बनाओ ,खुद खाओ औरों को खिलाओ
कुछ सुनो और सुनाओ ,
मन की मन में ना रहने दो , बातों को बोझ ना बनाओं
बस चुप ना रहो ,कुछ बात करो ।।
माना कोई किसी का नहीं है ,
ये भी सच है कौन सुनता है
कड़्वा सच है समय है किसके पास
खुद को अपना मित्र बनाओ ,
कलम उठाओ सब लिख डालो
बस चुप ना रहो कुछ बात करो ।।
बस चुप ना रहो कुछ बात करो ।।

कल्पना देवानी, हिंदी अनुवादक

अंतहीन दौड़

मनुष्य जीवन एक अंतहीन दौड़

दूसरों से आगे निकलने की होड़

उन्नति की पथ पर कितनो को रोंदा

कभी अपने से यह सवाल पूछा

अंत मे तो धरती की गोद मे समाना है

खाली हाथ आये थे खाली हाथ जाना है

फिर क्यों इतना निरंतर संघर्ष

क्यों भुला रहें हम एक दूसरे का स्पर्श

क्यों छूट रहें हैं पुराने रिश्ते

क्यों टूट रहें हैं बंधन अनूठे

अंत मे तो धरती की गोद मे समाना है

खाली हाथ आये थे खाली हाथ जाना है

युद्ध की बर्बरता ने मनुष्य के अस्तित्व पर किया प्रहार

कितने घर टूटे धवस्त हुए कितने परिवार

इस प्रगति का क्या अर्थ जो मानवता को दानवता के पथ पर मोड़े

जहाँ सीने मे आग और हाथों मे बारूद भरे

अंत मे तो धरती की गोद मे समाना है

खाली हाथ आये थे खाली हाथ जाना है

चलिए फिर एक बार जीवन को बचपन की ओर मोड़े

फिर एक बार उस नदी की छोर पर जा बैठे

चंचल तितलियों के फिर पीछे भागें

खिलखिलाती धूप फिर रगों में लगें

एक बार फिर हसने का करें प्रयास

एक बार फिर प्रकृति से जुड़ने का हो आभास

अंत मे तो धरती की गोद मे सामना है

खाली हाथ आये थे खाली हाथ जाना है

अमित मुखर्जी
कनसल्टंट

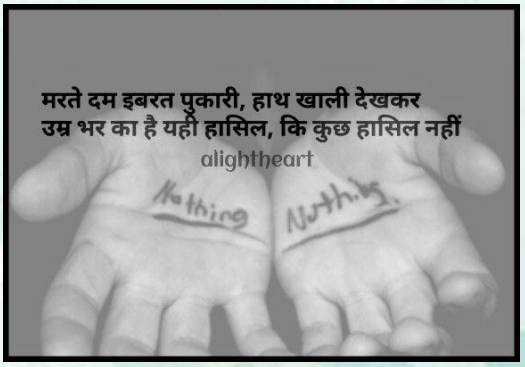

मेरा लड्डू गोपाल

सुबह शाम काम की आपा धापी में दोड़ते भागते ऑफिस जाना है, घर के काम हैं कि समाप्त होने को ही नहीं आते। दो मिनट भी बैठने का समय नहीं मिलता। अभी अभी रसोई में खाना बनाने का काम समाप्त हुआ नहीं कि काम वाली का कॉल आया कि बीबीजी आज मैं नहीं आऊंगी, मेरे पति कि तबीयत ठीक नहीं। बैठ गयी सिर पकड़ कर। सोचा था थोड़ा आराम करूंगी पर नसीब में कहाँ । चलो जी अब कमर कस लो और लग जायों रसोई में बर्तन साफ करने को। फिर क्या था लिया हाथों में झाड़ू और बढ़ चले सफाई कि ओर, कर डाला सारा घर साफ। अभी कपड़े भी धोने की मशीन लगानी है, घर के सदस्यों के कपड़े चाहे बाद में धुल जायेंगे पर जो मेरा लड्डू गोपाल है, उसके कपड़े तो धोना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे सारा काम समाप्त किया ही था कि मेरा लड्डू गोपाल हँसते हुए आता दिखाई दिया। बस फिर क्या था, उसको देखते ही मेरी सारी थकान फुर्र हो गयी।

अरे... अरे..... अरे.... अरे यहाँ पर मैं ये बताना तो भूल ही गयी कि लड्डू गोपाल ओर कोई नहीं मेरा **'नाती'** है। जिसको देखकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उसकी हंसी पर तो मैं वारी-वारी जाती हूँ। वो मुझे देखता है और हँसता हैं मुझे भी उसको देखकर बहुत खुशी का अनुभव होता है। मैं भी उसके साथ छोटी बच्ची बन जाती हूँ कभी उसको घोड़ा गाड़ी में बैठाती हूँ तो कभी रॉकर में और कभी वाकर में। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा बचपन फिर से लौट आया।

अलका धीर
निजी सचिव

हे ईश्वर । आखिर मेरे साथ ही क्यों ।

ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है? ये ख़याल हम सबके के दिमाग में कभी न कभी ज़रूर आ ही जाता है. आपके मन में भी शायद कभी ये विचार ज़रूर आया होगा की "ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ? बाकी सब तो कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी ज़िन्दगी जीते है? तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?" है न ? मेरे भी मन में आता है और मेरे कई दोस्तों के मन में भी यही ख़याल आता है. आश्चर्य !

कितने आश्चर्य की बात है. हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी ज़िन्दगी भी अलग अलग हैं, पर फिर भी एक ही जैसा सोचते हैं ! क्यों?

क्योंकि हम सब इंसान हैं. कुछ भी हो जाये अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते. खुशियाँ-गम, सफलता-असफलता, खोना-पाना, हार-जीत, हम सबके जीवन में है. हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा.....पर फिर भी ..."मेरे ही साथ क्यूँ?" ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता.....

जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ तो मुझे बचपन में सुनी हुई एक कहानी याद आती है की, "एक इंसान था जो इसलिए रोता रहता था और भगवान् को भला बुरा कहता था, क्यूकि उसके पास जूते नहीं थे. और जब वो चलता था तो उसके पैरों में कांटें और पत्थर चुभते थे और वो दर्द से कराह कर रह जाता था. वो अक्सर ईश्वर से यही प्रार्थना करता था की प्रभु इस बार कम से कम इतनी कृपा करना की मुझे जूते मिल जायें. पर एक दिन वो अपना दर्द भूल गया, जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा, जिसके पैर ही नहीं थे....

उस दिन उसकी समझ में आया की वो तो अपने को ही बहुत दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं हैं.....वो कैसे चलता होगा?"

कहानी में कुछ नया नहीं है. पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुःख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे.

अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि यदि सुख आपके कर्मों का फल है, तो दुख ईश्वर का प्रकोप क्यों? वास्तव में ईश्वर तो कभी अपने भक्त पर कुपित होते ही नहीं हैं। वे तो अपने भक्त को संतान तुल्य मानते हैं। जिस तरह मनुष्य अपनी संतान की रक्षा हर कष्ट से करता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्त को दुखों से बचाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि आपके मन में संदेह नहीं आना चाहिए। आपके अंतर्मन में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे पिता हैं और वो हर कष्ट से हमें बचा लेंगे।

रेनू बस्सी ,सहायक

योग भगाये रोग

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार आयोग में सितम्बर माह में राजभाषा प्रोत्साहन माह मनाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत आज निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है । आज के निबंध के विषयों में से एक विषय है : 'योग भगाये रोग' । विषय के सुनने मात्र से ज्ञात हो जाता है कि योग में ही वह चमत्कारिक शक्ति है जो कठिन/असाध्य रोगों को भगाने या हम से दूर रखने में सक्षम है । आवश्यकता है केवल अभ्यास व इच्छाशक्ति की ।

योगाभ्यास के फायदे क्या और कितने हैं इसकी जानकारी थोड़ी बहुत हम में से अधिकतर का ज्ञात है । विशेषकर वर्ष 2020 तथा 2021 के कोविड-19 संक्रमण व वैश्विक महामारी के चलते योगाभ्यास की आवश्यकता व महत्व को शायद ही किसी ने नज़रअंदाज़ किया होगा। योग में ही वो सामर्थ्य है जो शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में सांमजस्य स्थापित कर सकता है ।

योग के इसी चमत्कारिक प्रभाव को संज्ञान में लेते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय या विश्व योग दिवस प्रत्येक वर्ष की 21 जून को घोषित किए जाने का सुझाव रखा जिसे माना भी गया । तब से हर वर्ष 21 जून को भारत सरकार की तत्वावधान में विश्व योग दिवस हर कार्यालय, संस्था, मोहल्ले, विद्यालय, संस्थान आदि में बड़े जोशपूर्ण तरीके से मनाया जाता है जिसमें लोग संगठित हो सामुहिक योगाभ्यास करते हैं तथा जागरूक व लाभांवित होते हैं ।

यह कहना कतई अतिश्योक्ति न होगी कि निरंतर योगाभ्यास से कठिन व कई असाध्य रोगों से मुक्ति संभव है । योगाभ्यास से दवाइयों के सेवन से होने वाली शारीरिक क्षति को भी नियंत्रित कर उनसे बचा जा सकता है व धीरे-धीरे दवाइयों पर निर्भरता भी समाप्त की जा सकती है ।

योगाभ्यास न केवल घातक बीमारियों से वरन् अन्य छोटी-मोटी शारीरिक परेशानियों जैसे अपच, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, श्वास संबंधी रोग, हड्डियों व जोड़ों की बीमारियों से भी बचाव व आराम दिला सकता है । बस केवल एक ही शर्त है : योग का अभ्यास किया जाए । अच्छी बात यहां यह है कि योगाभ्यास के लिए कोई विशेष तैयारी, जगह, संसाधन, यंत्र इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं । आपको जब भी योगाभ्यास करने की इच्छा हो तो अपने शरीरानुकूल व आवश्यकतानुकूल योग क्रिया करें । एक बीमार व्यक्ति जो शारीरिक रूप से इतना सबल नहीं कि कठिन योग कर सके केवल अनुलोम विलोम करके भी लाभांवित हो सकता है ।

योगाभ्यास न केवल शारीरिक वरन् मानसिक स्वास्थ्य में भी अत्यंत लाभकारी है । केवल स्वस्थ शरीर होना ही स्वास्थ्य नहीं है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन व मानसिक स्वस्थता भी निहित है । संभवत: यही कारण है कि विश्वभर से पर्यटक आजकल भारत में मानसिक शान्ति हेतु योग पर्यटन के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में लंबे समय तक टिके रहते हैं व अपनी आत्मा, शरीर व मस्तिष्क में सांमजस्य स्थापित कर जीवन का भरपूर आनन्द लेते हैं । बीते लगभग डेढ़ वर्ष में कोविड-19 के चलते हम सभी की जीवनी पर जैसा घोर संकट आया उसके साथ ही अब हमें जीवनयापन करना होगा यह विचार किसी को भी मानसिक रूप से अस्थिर कर सकता है । जीवनयापन हेतू यथासंभव प्रयास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है - मानसिक शान्ति व स्वास्थ्य यौगिक क्रियाओं तथा योगासनों के माध्यम व अभ्यास से ही मानसिक शान्ति व स्थिरता हासिल की जा सकती है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी व बच्चों को योग के फायदों का आभास करवाना हमारा उत्तरदायित्व भी है तथा समय की मांग भी क्योंकि 'जान है तो जहान है' ।

हमें अपने बच्चों, बड़ों, परिचितों को 'स्वप्रेम' से साक्षात्कार करवाना चाहिए । 'स्वप्रेम' या खुद से प्रेम आज के समय की सच्चाई है जिसे केवल स्वस्थ शरीर, मन मस्तिष्क व आत्मा में योगाभ्यास के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है ।

यह शरीर एक मंदिर है जिसे हमें पूजना चाहिए, संवारना चाहिए तथा इसकी भक्ति करनी चाहिए । हमें जीवन दो बार मिलता है परंतु यह दुखद है कि इसका आभास हमें तब होता है जब हमें विदित होता है कि जीवन केवल एक ही बार मिला है और तब तक काफ़ी समय हाथ से फिसल चुका होता है ।

निष्कर्ष में मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि स्वप्रेम कीजिए अपने मन मस्तिष्क, शरीर व आत्मा को समायोजित कीजिए और यथासंभव योग को अपनाइए जितना भी हो सके योगाभ्यास कीजिए। आप स्वस्थ रहेंगें तो परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज से स्वस्थ राष्ट्र बन सकेगा फिर पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं । राष्ट्र तरक्की करेगा और साथ ही हम भी ।

धन्यवाद ।

नाम : इन्दु रावत
पदनाम : वरिष्ठ आशुलिपिक
निबन्ध प्रतियोगिता द्वितीय पुरस्कार विजेता

योग भगाए रोग

(सांत्वना पुरस्कार)

भारतवर्ष देवो भूमि तथा ऋषि मुनियों का देश कहलाता है । इस देश को महान सावित्री तथा तपस्वीयों के होने का गौरव प्रदान है । अपने तपोबल से यह महान देश है ।

हम लोगो को उन्हीं महान ऋषियों तथा देश की आत्मरक्षा के लिए उनसे हमेशा प्रेरणा प्राप्त है । उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जीवन के अपने ग्रंथ तथा पुस्तकों में दर्शाया गया है । जिसे हमें योग कहते है । योग करने से सदैव खुश तथा शरीर सुडोल रहता है , जिससे दिनचर्या में उमंग तथा खुशहाल रहने, जीवन में रोजमर्रा के कार्य करने में प्रसन्नता होती है । इसके साथ नकारात्मक उर्जा समाप्त होती है ।

योग :- मनुष्य को सदैव खुश रहने के लिए ब्रहममुहूर्त में उठना चाहिए । जिससे ब्रहममुहूर्त में प्रथम पहर कहा जाता है सुबह 4.00 बजे से प्रारम्भ होता है ब्रहममुहूर्त में जागने से एवं स्नान आदि होने पर भगवान या देवी देवताओं का स्मरण करने से स्मरण शक्ति प्रदान होती है, सर्वप्रथम ओम शब्द के उच्चारण से स्कारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है । इसके साथ सुबह की पवन (हवा) प्रदूषण मुक्त होने के कारण शुद्ध वातावरण में सौहार्द प्राप्त होता है ।

उपरोक्त कार्य करने के पश्चात् रोगमुक्त रहते हैं तथा ऊर्जा प्राप्त करते है । सुबह घूमना या दौड़ लगाना सेहत के लिए अमृत समान है । योग करने से निम्न रोगों में फायदा होता है ।

अस्थमा :- जीवन शैली में खान पान अशुद्धि होने से अस्थमा रोग से ग्रस्त होते हैं इस रोग में प्राणायाम धनुर आसन करने से अस्थमा रोग को दूर भगाता है ।

मोटापा :- मोटापा अधिक होने से अनेक बिमारियां हो जाती है । मोटापा कम करने के लिए ताड़ आसन करने से मोटापे से राहत मिलती है ।

डायबिटीज (शुगर) :- असमय खान पान, लगातार बैठ कर काम करने से, विश्व (दुनिया) में शुगर की जानलेवा बीमारी बढ़ती जा रही है । शुगर, ब्लड प्रेशर उतार चढ़ाव होता रहता है, ब्लड प्रेशर को नियत्रित करने के लिए कप्पालभॉती, प्राणायाम करने से कुछ राहत मिलती है तथा सूर्य नमस्कार से भी लाभ मिलता है ।

हाइपरटैंशन :- हाइपरटेशन रोग से प्रभावित व्यक्ति को आलोम-विलोम करने से राहत मिलती है ।

माइग्रेन :- माइग्रेन रोगी को हमेशा दर्द से प्रभावित रहने से बहुत दुखदायी है । ऊ शब्द का उच्चारण करने से शान्ति प्राप्त होते है ।

उपरोक्त आसन शांत व शुद्ध वातावरण या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करने तथा सूर्यादय से पहले करने से अत्यन्त लाभ मिलता है इसके साथ-साथ राह में मिलने वाले व्यक्तियों से हाथ जोड़कर राम'-राम जी तथा नमस्कार करने से शरीर व दिमाग को लाभ प्रसन्नता प्राप्त होती है । राम राम कहो और कहलवाओ दोनों का फल आप ही पाओ ।

राजबीर सिंह
हिंदी टंकक

कोविड-19 का जन जीवन आजीविका पर प्रभाव

कोविड-19 या कोरोना इस पीढ़ी क्या इससे पहले की पीढ़ी ने यह बीमारी नहीं देखी होगी जोकि एक विश्व पटल पर अपना प्रभाव छोड़ चुकी है। इस बीमारी की वजह से सभी देश के लोग अपने अपने घरों में एक कैदी की भांति हो गए। इस बीमारी ने आजीविका के हर क्षेत्र को प्रभावित किया वो क्षेत्र भी जो आज तक बंद नहीं हुए वो भी बंद हो गए भारतीय इतिहास में रेल सेवा कभी बंद नहीं हुई, वो भी बंद हो गयी।

भारत में जब 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा हुई, तब तक किसी ने भी यह सोचा होगा की भारत के लोगो को यह दिन भी देखना होगा। यह वो समय था, जब भारत में काली मिर्च, कॉफी या केले की कटाई शुरू होती है, साथ ही रबी की फसल भी कटने को तैयार होती है। सम्पूर्ण लॉकडाउन होने के कारण जो श्रमिक जहा थे वो वही रहे गए। फसल कटने के लिए मजदूरो का अभाव हो गया, वो श्रमिक पैदल ही अपने अपने गाँवो की तरफ चल दिये, साथ ही फसल देर से काटने के कारण फसल बर्बाद भी खेतो में हो गयी। जो कटी वो भी यातायात के साधन बंद होने के कारण खराब हो गयी। भारत की अधिकतर आबादी कृषि पर आधारित है। कुछ किसानों के पास ही कृषि योग्य अधिक भूमि है तथा ज़्यादातर किसान दूसरे किसानों के खेत में मजदूरी करते है, वो भी इसके कारण दाने दाने को मोहताज हो गए।

आजीविका के अन्य क्षेत्र जैसे मत्स्य पालन और पौल्ट्री फार्म भी बंद हो गए। जिससे उनके द्वारा पैदा किए उत्पाद की कीमते गिर गयी और कईयो को यह धंधा बंद भी करना पड़ा क्योंकि बाज़ार बंद थे, यह सामान खरीदने के लिए कोई भी खरीददार नहीं था। इसी तरह शहरों में भी आजीविका पर प्रभाव पड़ा है। काफी श्रमिक जो दुकानों पर कार्य करते थे, वो भी बाज़ार, मंडी, माल बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए। कृषि श्रमिकों के वेतन में भी कटोती भी हुई परंतु यह सब होना काफी नहीं था, जिन्होने अपना बिज़नस लोन लेकर शुरू किया था उनको भी लोन की किस्ते भरने में परेशानी हुई। स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई।

अभिभावकों को बच्चो के लिए इंटरनेट कनैक्शन, मोबाइल फोन, लैपटाप आदि की आवश्यकता हुई, जोकि अभिभावकों के लिए अतिरिक्त burden पहले बच्चे स्कूल बस से जाते थे, स्कूल बंद होने के कारण स्कूल यातायात के लिए श्रमिक बेरोजगार हो गए। शहरों में बाज़ार, माल बंद होने के कारण बहुत सारा सामान खराब हो गया जिनका लेदर का सामान का शोरूम था वो भी कोविड-19 में सब खराब जो गया उस पर फफूंदी जम गयी वो भी आधे दामो पर सेल मे निकलना पड़ा तथा नए समान के लिए भी बैंकों से लोन भी लेना पड़ा।

कोविड-19 मै दो-तीन महीने बाज़ार बंद होने के कारण दुकानदारो, किसानों का बहुत नुकसान हुआ, उसकी वजह से कई सामान जो पहले जरूरी नहीं था, उसकी भी कालाबाजारी शुरू हो गयी। दुकानदारो ने जीवन रक्षक दवाइयो, oxygen cylinder, mask, sanitizer, दस्ताने आदि के लिए मनमानी कीमत वसूल की सभी oxygen cylinder की कालाबाजारी सभी ने देखी है।

कोविड-19 के धीमे पड़ने के बाद सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों को खोलना आरंभ किया, यातायात के साधन तथा बाज़ारो में कम भीड़ दिखाई देने लगी। लोगो के लिए इस दौरान ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दिया जिसकी वजह से जीवन की हर चीज़े, वस्तुओ के दाम बढ़ गए। मजदूरो का पलायन होना यह एक बहुत बड़ी विपदा थी इस दौरान मजदूरो का सड़क मार्ग पर ही दम निकलता गया क्योंकि यातायात के साधन बंद थे।

कुल मिलाकर हम यह कह सकते है की कोविड-19 ने देश के ही नहीं वरन विश्व पटल पर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, और राजनीतिक प्रभाव डाला है और इन सब निम्न तबके के मजदूर जो रोज़ ही रोटी कमाते थे वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए है। उन्हे शहरों में घर को रेंट देने के लिए परेशानी हुई कई को मकान मालिको ने घर से बाहर निकाल दिया। इस आजीविका के न होने के कारण कईयो के परिजनो को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा आखिर आओ हम यह दुआ करे की यह हमारी आने वाली पीढ़ी को यह दिन दुबारा नहीं देखना पड़े इसके लिए हमे प्रयास करने होंगे, हाथो को धोना, मास्क पहनना तथा दो गज की दूरी को हमे अपने जीवन में अपना ही सकते है।

रवीद्र कुमार मीना,क.आशुलिपिक

पड़ाव ज़िंदगी का

जब तक चलेगी ज़िंदगी की सांसे ,
कहीं प्यार ,कहीं टकराव मिलेगा ।

कहीं बनेगें सम्बंध अंतर्मन से तो .
कहीं अभिव्यक्ति का अभाव मिलेगा।

कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशसा तो ,
कहीं नाराज़गियों का बहाव मिलेगा।

कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो ,
कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा।

कहीं बनेगे पराये रिश्ते भी अपने तो ,
कहीं अपनों से ही खिचाव मिलेगा।

कहीं होगी खुशामदें चेहरे पर तो ,
कहीं पीठ पर बुराई का घाव मिलेगा।

तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर,
जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा।

रख स्वभाव में शुद्धता को तू मन्जु ,
अवश्य खूबसूरत ज़िंदगी का पड़ाव मिलेगा।

मंजु अंजलि ,वास्तुक सहायक

<u>शायद यह आखरी पीढी है ।</u>

जो समझोते करती रही
जीवन के हर पुरानी और नई पीढी से
जो संतुलन बनाए चलती रही
जो परिवार को संयुक्त बनाए रखने के
प्रयास करती रही
जो बडों का सम्मान
बुजुर्गों का मान करती रही
शायद यह आखरी पीढी है
जो पास ही तो है, पैदल चले जाएंगे कहती रही
बच्चों के लिए बचत करती रही
कैब छोड बसों में यात्रा करती रही
हवाई जहाज छोड थ्री टायर ए.सी. में सफर करती रही
कूलर में पानी भरती थी
पापा से साईकिल सीखती थी
पैदल थैला और दूध की डोलची लेकर जाती थी..
शायद यह आखरी पीढी है ।

दीपक चन्द्र बन्दूणी,अवर श्रेणी लिपिक

छठ पूजा

परिचय

छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है जो भारत के उत्तर-पूर्व भाग में स्थित है। यह कार्तिक माह के 6वें शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह एक शुभ अवसर है और हर वर्ष मनाया जाता है। इस पूजा में लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। यह पुरुष या महिला किसी के भी द्वारा किया जा सकता है। जो कोई अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं वे छठ माता से प्रार्थना करते हैं।

छठ पूजा क्यों मनाया जाता है?

इस शुभ अवसर को मनाने के लिए कई मान्यताएं हैं। सबसे पहले वाला कुछ इस तरह से है;

एक राजा थे प्रियव्रत, जिनकी कोई संतान नहीं थी और किसी तरह एक बार एक बच्चा पैदा हुआ था, मगर दुर्भाग्यवश वह मृत पैदा हुआ था। परिणामस्वरूप, राजा ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर श्मशान की तरफ चल दिए, लेकिन उनमें इतना ज्यादा दुःख था कि वो खुद भी उसी क्षण खुद को मार देना चाहते थे। तभी अचानक एक देवकन्या प्रकट होती है और वह राजा से देवी षष्ठी की प्रार्थना करने के लिए कहती है क्योंकि वही उसकी मदद कर सकती है। वह देवसेना थी, देव की बेटी थी और वह स्वयं देवी षष्ठी थी। राजा ने देवसेना का बातों का पालन किया और आखिरकार, उसको एक बेटा हुआ और इस तरह, यह व्रत और पूजा करने के लिए प्रसिद्ध हो गया।

एक और मान्यता है कि जब भगवान राम और देवी सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। उन्होंने भी यही पूजा की थी।

उसी परंपरा का पालन करते हुए, लोग प्रार्थना की पेशकश करते हैं और इस दिन उपवास रखते हैं और इसे त्यौहार की तरह मनाते हैं।

छठ पूजा के बारे में सबसे आकर्षक बातें

यह एक पारंपरिक त्योहार है और इस अवसर पर विशेष रूप से पकाया जाने वाला पारंपरिक प्रसाद सबसे अच्छा लगता है। लोग खास्ता और ठेकुआ खाना बेहद ही पसंद करते हैं जो इस अवसर पर बनाये जाने वाले दो मुख्य प्रसाद हैं।

यह एक बहुत बड़े त्योहार की तरह लगता है क्योंकि परिवार के सभी सदस्य इसे एक साथ मनाते हैं, वे तैयारियों में एक-दूसरे की मदद करते हैं। इन तीन दिनों में सभी को साफ़ और शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए और सबसे मुख्य बात यह है कि पूजा समाप्त होने तक यानी तीन दिनों तक आप प्रसाद नहीं खा सकते।

बहुत से लोग इस अवसर को मनाने के लिए किसी नदी, तालाब या झील के पास इकट्ठा होते हैं और सच कहूँ तो मुझे इसका हिस्सा बनना काफी ज्यादा पसंद है। वास्तव में यह एक अद्भुत अनुभव है और सबसे प्रतीक्षित त्योहारों में से एक है।

निष्कर्ष

पर्व हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हैं, इसलिए हमें कोई भी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए। हर साल हम उन्हीं त्योहारों को दोहराते हैं, फिर भी हमें इसका बेसब्री से इंतजार रहता हैं। हम योजना बनाते हैं और ढेर सारी खरीदारी करते हैं और खुशी से त्योहार को मनाते हैं। दरअसल, पूरा देश त्योहार मनाता है और अपने परिवार और दोस्त के साथ कुछ खुशनुमा पल साझा करता है। छठ पूजा भी उनमें से एक है

रवि शंकर राय, कनिष्ठ आशुलिपिक

योग भगाए रोग
(प्रथम पुरस्कार)

योग शब्द का अर्थ है – "एक्य" या "एकत्व " जोकि संस्कृत शब्द 'भुज' से बना है जिसका मतलब होता है "जोड़ना"। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है –

"योगकर्मसु कौशलम् : "

अर्थात योग करने से कर्मों में कुशलता आती है।

प्राचीन काल से ही योग के महत्व को सराहा गया है । पुराणों जैसे की ऋग्वेद में इसकी महिमा का बखान है। सिंधु घाटी क सभ्यता , महाभारत एवं रामायण काल , वैदिक युग आदि सभी में किसी न किसी रूप में योग का वर्णन है। ऋषि – मुनियों ने समय समय पर भारत-वर्ष में योग का प्रचार- प्रसार भी किया है।

योग के आठ अंगों को अष्टांग कहते हैं । इसमें यम, नियम , प्राणायाम , ध्याम आदि सभी का अपना महत्व है। आधुनिक काल में भाग -दौड़ भरी तनावग्रस्त ज़िंदगी जिसमे अनेक प्रकार की बीमारियों से मानव ग्रस्त हो रहा है, योग ही स्वस्त रहने का समाधान है । योग का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है ।

योग अंतर्मुखी और बह्यामुखी व्यवहार में समंजस्य बिठाने की प्रक्रिया है। व्यावहारिक स्तर पर योग शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए उचित औषधि है। आधुनिक समाज में राजमर्रा की चिंता से उठने वाले तनाव तथा उससे जुड़ी प्रत्येक समस्या का समाधान है। कपालभाती, पवनमुक्त आसान पेट से संबंधी समस्या को दूर रखते हैं , तो वही अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम स्वास – संबंधी बीमारियों से बचाते हैं। मात्र कुछ मिनटों का योग 24 घंटों के लिए मानव शरीर में स्फूर्ति के लिए पर्याप्त हैं।

मानव शरीर दूषित खान – पान , हवा एवं दैनिक तनाव के कारण रोग- ग्रस्त हो सकता है । कई आसन ऐसे भी है जिनसे ब्लड प्रैशर नियंत्रित रहता है तथा शरीर चुस्त रहता है ।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय "योग दिवस" के रूप मे मनाने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2015 में 21 जून को विश्व स्तर पर योग दिवस हर्षोलास के साथ मनाया जाने लगा । इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष ही यह मनाया जाने लगा । योग के महत्व को पूरे विश्व ने समझा । प्राचीन काल से राजा – महाराजाओं , ऋषि – मुनियों , गौतम बुद्ध , महावीर स्वामी सभी ने इसको अपनाया है । यह कोई धर्म नहीं है , योग तो जीवन जीने की प्रक्रिया है। महाभारत में तो ऐसा भी कहा गया है कि –

"योग स्वयं के लिए , स्वयं के माध्यम से, स्वयं को मिलाने की प्रक्रिया है। "

योग से मानव शरीर रोग मुक्त रहेगा जिससे उसके जीवन मे शीतलता आएगी और वह जीवन के दूसरे क्षेत्रों में सफलता की ओर अग्रसर रहेगा । एक रोग – मुक्त व्यक्ति समाज को प्रगति कि ओर लेकर जाएगा । अतः योग का संबंध व्यक्ति की उम्र से बिल्कुल भी नहीं है । योग तो बालक , युवा एवं वृद्ध कोई भी कर सकता है।

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।। “

जब सभी योग करेंगें तो सभी सुखी होंगें , सभी निरोगी होंगे , कभी किसी के भाग्य मे कोई दुःख नही होगा।

नेहा चौहान, वास्तुक सहायक

आपके शब्द, विचार और कार्य
आपके भाग्य का निर्माण करते हैं
अज्ञात

माँ

समय का भी क्या ज्ञान है , समय ही तय करता है
जिंदगी की शुरुआत की माँ की कोख मे आकर ,
मानो कोख न हुई कि जैसे हुआ कोई महफ़ूज महल ,
जहां सुना सब जाता है और महसूस होती है सारी हलचल ,
स्वर्ग – सी जगह , मद्यम प्रकाश और उजला साया,
प्रेम के रक्त से संचित करती वो काया । ।
दुनिया में कदम रखने से पहले , रिश्तों की कहानी जुड़ जाती है
नए जीवन के आवभगत कि तयारी शुरू हो जाती है
कि उम्र तो सिर्फ माँ कि कोख में बढ़ती है
और बाकी पूरी उम्र घटती जाती है
बुज़ुर्गों कि दुआएं , और सबके आशीर्वाद के हक़दार हो जाते हैं ,
कि हम माँ के ता-उम्र कर्ज़दार हो जाते हैं ,
कैसे चुका पाएंगे माँ के इस कर्ज़ को ,
हमें प्राण देने वाले इस फर्ज़ को । ।

- **सिद्धार्थ सागर**
वास्तुक सहायक

जिन्दगी क्या है ?

जिन्दगी एक सवाल है
जिसमें कई तरह का उतार-चढाव है,
कोई इसमें पार लग जाता है
तो कोई इसमें गोते खाता है ।

क्योंकि जिन्दगी के इस पढाव पर
जहां जिन्दंगी में कोई ख्वाईश नहीं है
कोई चाह नहीं कोई राह नहीं
बस जिन्दंगी जिये जा रहे हैं ।

बस एक पथर दिल है
जिसमें कोई (लो) रोशनी नहीं
क्या चाहा था जिन्दंगी से पर क्या हो गया
किसी को क्या पता था सब खत्म हो गया ।

जिन्दगीं की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है
दर्द में अकेले हैं, खुशियों में सारा जमाना है ।
जमाने की खुशियों का दिल से है क्या रिश्ता
जिसमें ना कोई फरेब ना अफसाना है ।

जिन्दंगी का क्या भरोसा, आज यहाँ कल कहाँ
फिर भी उम्मीद की एक किरन है सामने
जिस पर हैं सारी ख्वाहिशें, जो है सारे सवालों का जवाब
वही जिन्दंगी का है हिसाब किताब ।

लम्हों की एक किताब है जिन्दंगी
सांसों और ख्यालों का हिसाब है जिन्दंगी
कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी
बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंन्दगी ।

जीना यहाँ मरना यहाँ
इसके सिवा जाना कहाँ

सुनीता रानी,उच्च श्रेणी लिपिक

पृथ्वी दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का विचार शायद हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम पृथ्वीवासियों को रुकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमने धरती माता को (अपरिवर्तनीय) क्षति पहुचायी है और हमारे भविष्य के लिए संभावित खतरे हैं। गलतियों से सीखना हम पर निर्भर है, किंतु न सीखना और आगे बढ़ना घातक हो सकता है।

हम जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करते हुए मज़बूती, गो ग्रीन, रीसायकल, पुन: प्रयोग , रिड्यूस, ऑर्गेनिक, फार्म-टू-टेबल, स्लो फैशन, सस्टेनेबल फैशन आदि सहित विभिन्न शब्द समक्ष आते हैं। लेकिन क्या हम जो उपदेश देते हैं उसका अनुपालन होश-हवास में करते हैं? शायद हां, शायद नहीं!

जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और हम दैनिक जीवन में इसका प्रभाव देख रहे हैं, चाहे समय-क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति कैसी भी हो। इस पोस्ट को लिखते समय हम कुछ बदलाव देख रहे हैं:

1. **खाद्य असुरक्षा**: बदलते मौसम हमारी फसलों और खाद्य उत्पादन को प्रभावित करते हैं जिससे खाद्य कीमतों में वृदि ,मुद्रास्फीति होती है।
2. **प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि**: पहले से कहीं अधिक तेजी से आ रही प्राकृतिक आपदाएं संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए खतरा हैं।

3. **फेनोलॉजी में परिवर्तन**: कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा को प्रभावित करने वाले पौधे-जीवन चक्र की घटनाओं की मौसमी लय में परिवर्तन करते हैं ।
4. **कुछ प्रजातियों का बड़े पैमाने पर विलुप्त होना**: कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का संभावित खतरा (उदाहरण के लिए, बम्बलबी) जो किसी न किसी तरह से पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण हैं।
5. **संक्रामक रोग:** वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों के कारण एलर्जी और अन्य चिकित्सीय स्थितियों (कुछ मामलों में वे घातक हो सकती हैं) की बढ़ती संख्या।

जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनगिनत अन्य खतरे हैं जिन पर समय, स्थान और विशेषज्ञता के प्रतिबंधों के कारण चर्चा नहीं की जा सकती है, किंतु संक्षेप में, यह समय है कि हम जागें और कार्य करें। व्यक्तिगत होने के नाते, हम अति-महत्वाकांक्षी योजनाएँ नहीं बना सकते हैं, इस प्रकार छोटे-छोटे मील के पत्थर पर टिके रहना, जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है, केवल उन पर चर्चा करने के बजाय, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम धरती माता के लिए अपना योगदान दें, यही समझदारी होगी। मेरी कुछ सिफारिशें हैं:

- जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करें कि आप GHG के उत्सर्जन में योगदान नहीं करते , बेकार में बाहर निकलना कम करें। विशेष रूप से कोविड के बाद जब कार्यस्थल घर से काम करने के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, तो यात्रा के समय को कम करने, जीवाश्म ईंधन की खपत में कमी और बदले में वायु प्रदूषण को कम करने में लाभ का अच्छी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए।

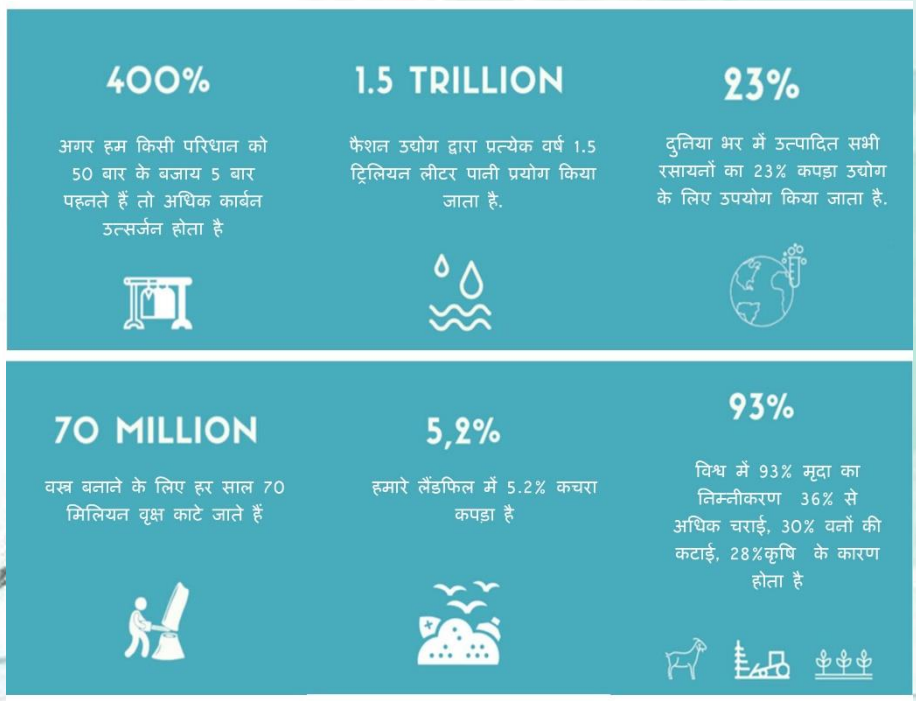

- यदि संभव हो तो धीमे जीवन और धीमे फैशन का अभ्यास करें। ये सुनने में अटपटे लग सकते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इन्हें अपनाना और लागू करना आसान है। उन दोनों को बहुत सारी विलासिता और अपव्यय पर त्याग करने

और न्यूनतम जीवन शैली जीने की आवश्यकता होती है। हालांकि, वे धीमी गति से परिवर्तन से संभव हैं जहां हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसे होशपूर्वक और सोच-समझकर किया जाना चाहिए। यह पॉकेट फ्रेंडली भी होगा।

- **स्थानीय खरीदारी करें** - यह सीधे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए ट्रांसपायर होगा क्योंकि उत्पाद हम तक पहुंचने के लिए कम यात्रा करेगा। साथ ही, यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देगा और आपके अपने समुदायों की मदद करेगा। तो, **स्थानीय के लिए मुखर (वोकल) हो जाओ**।
- **पुन: उपयोग करने योग्य चीजें-** रोजमर्रा के उपयोग के लिए (कांच से बने उत्पादों, पुन: प्रयोज्य कार्डबोर्ड, कपड़े आदि सहित) ले जाएं। यह सुनिश्चित करे कि हमारे लैंडफिल समाप्त न हों और शहरों में कचरे के (अवांछित) पहाड़ ना बन जाएं।
- अंतिम किंतु न्यूनतम नहीं - गो ग्रीन। कोविड के दौरान हमने देखा कि लोगों का बड़ा समूह है। सौंदर्य के अलावा, पौधों में वायु-शोधन गुण होते हैं जो सूक्ष्म जलवायु का प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार यांत्रिक वायु-शोधक पर निर्भरता कम करते हैं। बालकनी के बगीचों, किचन गार्डन और इस तरह की अन्य गतिविधियों में अपना खुद का भोजन उगाने पर विचार करें।

जबकि ऐसे प्रचुर तरीके हैं जिनसे हम योगदान कर सकते हैं, उपर्युक्त कुछ प्राप्त करने योग्य मील के पत्थर हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में वर्षों से लागू कर सकते हैं। आखिर ,क्यों एक दिन को पृथ्वी दिवस बनाएं , हर दिन पृथ्वी दिवस मनाएं ।

Figure 1 - Image Credit: https://mysolluna.com/2020/04/22/3-tips-for-improving-our-earth-on-earth-day/

पारुल कपूर (कनसल्टेंट)

सूक्तियां

1. हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है -

मैथलीशरण गुप्त

2. हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसमें मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नही किया -

डा. राजेंद्र प्रसाद

3. निज भाषा उन्नति अहै ,सब उन्नति को मूल -

भारतेंन्दु हरिस्चंद्र

4. हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है -

स्वामी दयानंद सरस्वती

5. जापानियों ने जिस ढंग से विदेशी भाषाएं सीखकर अपनी मातृभाषा को उन्नति के शिखर पर पहुचाया है उसी प्रकार हमे भी मातृभाषा का भक्त होना चाहिये -

श्यामसुंदर दास